न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/517

मिसलनम्बर– 49 / 2023

अलीम भाई पुत्र श्री बाबू भाई जाति मुस्लिम उम्र 61 वर्ष व्यवसाय कुछ नही निवासी मकान नं0 बी–2 इन्द्रा कॉलोनी पी.एस. विज्ञान नगर कोटा

–प्रार्थी।

बनाम

1.मोहम्मद आसिफ पुत्र श्री अलीम भाई जाति मुस्लिम व्यवसाय निजी कारोबार निवासी मकान नं0 बी–2 इन्द्रा कॉलोनी पी.एस. विज्ञान नगर कोटा

2.फरहीन बानो पत्नी मोहम्मद आसिफ जाति मुस्लिम निवासी मकान नं0 बी–2 इन्द्रा कॉलोनी पी.एस. विज्ञान नगर कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 28/11/24

उपस्थिति:–

1.श्री लोकेश नंदवाना प्रार्थी अधिवक्ता।

2.श्री सरफराज अंसारी अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थी का पुत्र है तथा अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थी की पुत्रवधु एव अप्रार्थी क्रम 1 की पत्नी है। प्रार्थी का एक मकान नं0 बी–2 इन्द्रा कॉलोनी पी.एस. विज्ञान नगर कोटा में स्थित है। जिसका पट्टा नगर विकास न्यास कोटा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी किया हुआ है। तथा उपरोक्त मकान का प्रार्थी एकमात्र मालिक एवं स्वामी है। उपरोक्त मकान प्रार्थी ने अपनी स्वअर्जित आय से निर्मित करवाया था। अप्रार्थीगण उपरोक्त मकान मे प्रार्थी के पुत्र पुत्रवधु होने के नाते निवास कर रहे है।अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थी एव प्रार्थी की पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा गाली गलौच करते है। यहा तक कि मार पिटाई तक पर उतारू हो जाते है, प्रार्थी की एक तलाकशुदा पुत्री है जो प्रार्थी क मकान मे ही निवासी करती है, को मकान से निकालने के लिए दबाव डालते है, तथा प्रार्थी के अन्य पुत्र मोहम्मद आरिफ से भी लड़ाई झगड़ा कर मार पिटाई करते है। दिनांक 02.07.2023 को सायं 8.00 बजे अप्रार्थीगण ने एकराय होकर प्रार्थी के बड़े पुत्र आरिफ मोहम्मद पर धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे प्रार्थी के पुत्र मोहम्मद आरिफ के सिर पर गंभीर चोट आई, जिस पर 8 टांके आए। जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना विज्ञान नगर कोटा में दर्ज कराई गई, जिसका एफ.आई.आर. नं. 202 / 2023 है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को झूठे मुकदमे में फंसाने जेल में सड़ाने की धमकी देते है, अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थी को न केवल प्रताड़ना को झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देती है, वरन छेड़छाड़, रेप के झूठे प्रकरण में भी फंसाने की धमकी देती है, कहते है कि अप्रार्थी क्रम

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

2 कपड़े फाड़ कर थाने में चली जायेगी तथा इस बुढ़ापे में जेल मे ही सड़ना। प्रार्थी द्वारा थाना विज्ञान नगर कोटा मे दर्ज एफ.आई.आर. सं. 202/2023 दिनांक 02.07.2023 को वापस लिए जाने के लिए समझौता करने के लिए प्रार्थी पर अप्रार्थीगण द्वारा दवाब बनाया जा रहा है, उपरोक्त प्रकरण में समझौता नही करने, रिपोर्ट वापस नही लेने की स्थिति में झूठे प्रकरण में फंसाने, जाने से मारने की धमकी अप्रार्थीगण द्वारा दी जा रही है। उपरोक्त समस्त स्थिति एवं परिस्थितियों को देखते हुए अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मकान से बेदखल किया जाना ही प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार के हित में सर्वोपरि है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मकान नं0 बी–12 इन्द्रा कॉलोनी कोटा से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर थानाधिकारी विज्ञान कोटा को आदेशित फरमाए कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मकान नं. बी– 12 से बेदखल कर दें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त मकान अप्रार्थीगण के माता पिता का संयुक्त मकान है। वास्तविक यह है कि प्रार्थीगण ने अपने पिता व माता प्रार्थी की शादी के बाद से सुशुषा की गई ओर उनका भरण पोषण खाने पीने का समस्त ध्यान रखा गया, अप्रार्थी की बहन तलाकशुदा बहन आसमा जो प्रार्थी के साथ ही उक्त मकान मे निवास करती है आसमा पर प्रार्थी का विशेष प्रेम होने के कारण व प्रार्थी आसमा से प्रभावित प्रेम के कारण उसकी बातों पर अमल व विश्वास करते है। आसमा और अप्रार्थीया फरीन के मध्य संबंध ज्यादा मधुमय होने के कारण दोनो के मध्य कभी कभार कुछ भावेश मे आकर बातचीते हो जाती है जिसके कारण अप्रार्थी की बहन आसमा प्रार्थी को उक्त बाते बड़ा चढ़ाकर प्रार्थी के सामने पेश करती है क्योकि प्रार्थी आसमा से अत्यधिक प्रेम करने के कारण उसकी बातो पर विश्वास कर लेते है ओर अप्रार्थीगण से नाराज होकर उसको जबरदस्ती घर से बाहर निकालने पर आमादा हो जाते है और उसके खिलाफ झुठी सच्ची रिपोर्ट थाने मे दर्ज करवाकर उसको मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करते है। अप्रार्थी क्रम 2 के साथ हो रहे शारीरिक व मानसिक क्रुरता अप्रार्थी क्रम 2 यह सोचकर सहन करती रही कि प्रार्थी उसके ससूर है जो कि उसके पिता के समान है व उसकी इज्जत करने के कारण आज तक कभी भी किसी भी थाने कचहरी मे उनकी कभी कोई रिपोर्ट दर्ज नही करवाई। इसके विपरीत प्रार्थी ने दिनांक 2.7.23 को एक झूठी रिपोर्ट यह कहकर दर्ज करवा दी कि अप्रार्थी क्रम 1 ने उसके बडे भाई आरिफ के साथ मारपीट की है । जबकि यदि आरिफ के साथ कोई मारपीट होती तो आरिफ स्वयं थाने में जाकर अप्रार्थीगण रिपोर्ट दर्ज करवाता लेकिन ऐसा उक्त पत्रावली मे कही भी नही है। अप्रार्थी अत्यन्त गरीब व मजदूर पेशा है जो कि खुली मजदूरी करता है बमुशकिल अपने बीबी बच्चों का गुजर बसर करता चला आ रहा है । ऐसी हालत मे भी अप्रार्थी अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता है ओर उनकी सार संभाल व भरण पोषण की सारी जिम्मेदारिया निभाता चला आ रहा है। लेकिन प्रार्थी अप्रार्थी की बहन आसमा के प्रभाव मे आकर उसके साथ लडाई झगडा करते है और उसे घर से अलग निकालना चाहते है जबकि अप्रार्थी द्वारा अल्प आय वर्ग होने का व्यक्ति होने के बावजूद भी अप्रार्थी ने अपने माता पिता का हाथ बटाने की नियत से उक्त मकान की लोन कीर किश्ते भी काफी सालों से भरता चला आ रहा है और समय समय प्रार्थी व अप्रार्थी की माता को दो हजार रूपये अलग से खर्चे के देता चला आ रहा है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण को घर से निकालना चाहता है क्योकि अप्रार्थी गरीब व्यक्ति होने के कारण उसकी स्थिती कही ओर मकान लेकर रहने की नही है इस कारण से अप्रार्थी उक्त मकान से अलग

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी

मकान मे रहने मे असमर्थ है यदि अप्रार्थीगण की आर्थिक स्थिती सही होती तो वह खुशी खुशी उक्त मकान से अलग और मकान मे निवास कर सकता था। इसके अलावा उक्त मकान प्रार्थी का स्वयं की मिल्कियत नही है उक्त मकान मे अप्रार्थी की माता अनिशा का भी मालिकाना अधिकार है जिस कारण से उक्त मकान मे से प्रार्थी को निकालने का फैसला व स्वयं नही कर सकते जबकि अप्रार्थी की माता अनिशा प्रार्थी को उक्त मकान में अपने बीबी बच्चों के साथ रखना चाहती है और उन्हे हंसता खेलता हुआ बडा होना देखना चाहती यदि ऐसी हालतों अप्रार्थी को उक्त मकान को छोडना पडा तो अप्रार्थी की माता अनिशा को गहरा मानसिक आघात पहुचेगा जिसके कारण वह बीमार भी हो सकती है इस कारण से प्रार्थी उक्त मकान मे रहकर अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुये अपने माता पिता का सार संभाल देखभाल व भरण पोषण करना चाहता है व करता चला आ रहा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थीगण की ओर से बहस नही की गई अतः बहस का अवसर बंद किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि उपरोक्त मकान का प्रार्थी एकमात्र मालिक एवं स्वामी है। उपरोक्त मकान प्रार्थी ने अपनी स्वअर्जित आय से निर्मित करवाया था। प्रार्थी के इस कथन का खण्डन करते हुये अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया है कि उक्त मकान प्रार्थी का स्वयं की मिल्कियत नही है उक्त मकान मे अप्रार्थी की माता अनिशा का भी मालिकाना अधिकार है जिस कारण से उक्त मकान मे से प्रार्थी को निकालने का फैसला व स्वयं नही कर सकते। हम पत्रावली में सलग्न मकान के पट्टे की प्रति का अवलोकन करने पर अप्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन उचित पाते है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट या थानाधिकारी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही से सम्बंधित रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। प्रार्थी की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0202/2023 की प्रति पेश की है जिसके अवलोकन से भी यह प्रमाणित नही है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट या लड़ाई झगड़ा किया गया हो। जिस कारण से अप्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित मकान से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, प्रार्थी को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी नही दें, उपरोक्त वर्णित मकान नं0 बी–2 इन्द्रा कॉलोनी पी.एस. विज्ञान नगर कोटा में प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 28/11/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा